



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-93

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 305386 दिनांक 22/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Baljee Meena S/o Ram Pratap Meena	श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री बरदाराम	9	88.88 SQ. YARD	Cooperative	HANUMAN VATIKA	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान वाटिका के भूखण्ड सं. 9 क्षेत्र. 88.88 वर्ग. की लीजडीड श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री बरदाराम को दिनांक 18.03.2002 को जारी की गई। श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री बरदाराम की मृत्यु दिनांक 22.04.2004 को हो गई। उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड हक त्याग के माध्यम से 1. श्री बरदाराम पुत्र श्री धन्ना राम, 2. श्री पुनी राम पुत्र श्री बरदाराम, 3. डाल चन्द पुत्र श्री बरदाराम, 4. मन्ना देवी पत्नी श्री श्रवण लाल, 5.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मीरा देवी पत्नी
श्री रामजी लाल,
6. कमली देवी
पत्नी श्री बाबू
लाल द्वारा श्री
बाबू लाल पुत्र श्री
बरदा राम को
दिनांक
06.07.2023 को
भूखण्ड के समस्त
अधिकार प्रदान
कर दिये गये।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड का बेचान
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र के माध्यम से
श्री बाबू लाल पुत्र
श्री बरदा राम
द्वारा श्री बालजी
मीना पुत्र श्री राम
प्रताप मीणा को
दिनांक
06.07.2023को
कर दिया गया है।
श्री बालजी मीणा
पुत्र श्री राम प्रताप
मीणा द्वारा
लीजडीड से
फ्री-होल्ड पट्टा
जारी किए जाने
बावत आवेदन
प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Baljee Meena S/o Ram Pratap Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।